

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 24-08-2019

फा.क्र. 4495/21-ब(दो)/2019, विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री संजय शुक्ला, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को तथा श्री दिनेश कुमार पालीवाल, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप से नाम निर्दिष्ट करता है।

No.4495/21-B-(II)/2019. In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No.59 of 1994), the state government in consultation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High court, hereby nominate Sh. Sanjay Shukla, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Jabalpur and Shri Dinesh Kumar Paliwal, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Dewas as Ex-Officio Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 4495/21-ब(दो)/2019,

भोपाल, दिनांक 24-08-2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर,
  2. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, म.प्र.,
  3. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास, म.प्र.,
  4. सदस्य अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, सी-2 साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, म.प्र.,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल, की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित। कृपया राजपत्र की 25 प्रतियां इस विभाग को भेजने का



(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 24-08-2019

फा.क्र. 4495/21-ब(दो)/2019, विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री आदित्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री श्रेयश पंडित, अधिवक्ता एवं श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप से नाम निर्दिष्ट करता है।

No.4495/21-B-(II)/2019. In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No.59 of 1994), the state government in consultation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High court, hereby nominate Shri Aditya Adhikari, Senior Advocate, Shri Shreyas Pandit, Advocate and Shri Anshuman Singh, Advocate, Jabalpur as Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 4495/21-ब(दो)/2019,

भोपाल, दिनांक 24-08-2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर.
2. श्री आदित्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. श्री श्रेयश पंडित, अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
4. श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
5. सदस्य अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, सी-2 साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, म.प्र.,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल, की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित। कृपया राजपत्र की 25 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

Pehsion  
RKSharma  
12-9-19

High Court of Madhya Pradesh JABALPUR 12 SEP 2019 2837 Reg No..... Receipt Clerk High Court Jabalpur
--

(सतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

Am